राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

12/11, जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011

दूरभाष: 23382778, 23382121, वेबसाइट: nalsa.gov.in

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं

1. आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाओं की योजना
2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015
3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015
4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों के लिए बाल-सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना, 2015
5. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं नि:शक्त व्यक्ति) योजना, 2015
6. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की योजनाएं) योजना, 2015
7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन) योजना, 2015
8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एवं नशे के कलंक का निवारण) योजना, 2015
9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016
10. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाओं की योजना

आपदा के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं: आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव-जनित, प्राय: पीड़ितों को अचानक चपेट में लेती है और वे जान-माल, घर और सम्पत्ति के नुकसान की त्रासद स्थितियां झेलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों आपदा को कम करने के उपाय करते हैं परंतु कई बार विभिन्न कारणों से इनके लाभ पीड़ितों तक नहीं पहुँच पाते। आपदा के पीड़ित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12(ई) के तहत नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं।

योजना के उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकट की अवधियों को कम करने, शीघ्र सुधार और विकास हेतु प्रावधान करने एवं विधिक प्रावधानों और सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने में उन्हें नि:शुल्क विधिक सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना है।

कार्य योजना: इस योजना में सभी जिलों में एक कोर ग्रुप की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिसमें एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, एक युवा वकील, चिकित्सा कार्मिक और गैर-सरकारी संगठन शामिल होंगे जो जब भी और जहां भी कोई प्राकृतिक अथवा मानव-जनित आपदा आती है तब तुरंत कार्रवाई करेंगे। कोर ग्रुप राहत सामग्रियों के वितरण, अस्थायी शरणस्थलियों के निर्माण, पीड़ितों की स्वास्थ्य देखभाल, भोजन एवं पेयजल की उपलब्धता तथा अन्य पुन:स्थापना एवं पुनर्वास उपायों के पर्यवेक्षण हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ-साथ अलग-अलग सरकारी विभागों एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण बीमा दावों, बैंक ऋण आदि को प्राप्त करने हेतु, गुम हुए दस्तावेजों को पुन: बनवाने में पीड़ितों की सहायता करेंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015

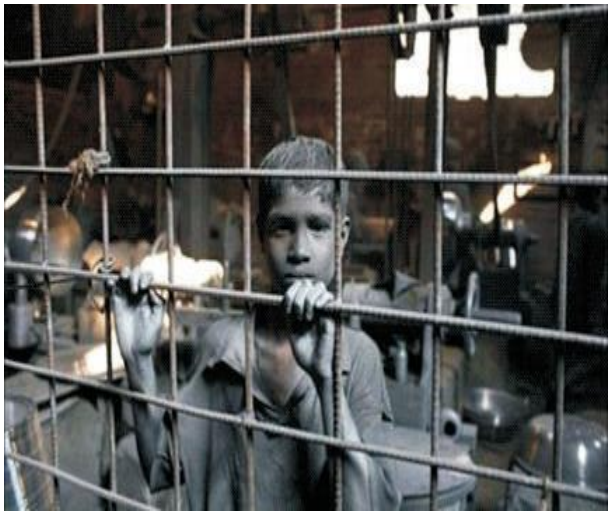

तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं: व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी करना एक संगठित अपराध है और हथियारों तथा नशीले पदार्थों के बाद सर्वाधिक लाभप्रद व्यापार या व्यवसाय माना जाता है। अधिकांशत: मासूम महिलाएं और बच्चे, यहां तक कि नौ साल तक के, उनके परिचितों द्वारा, जिनमें उनके परिवार भी शामिल हैं, इस धंधे में धकेल दिए जाते हैं। एक बार इस व्यापार में आ जाने के बाद, पीड़ित के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और उसे हिंसा, दुरुपयोग और शोषण के माहौल में जीना पड़ता है।

उद्देश्य: इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य तस्करी और यौन शोषण के विरुद्ध विधिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना अपनी व्यापक परिधि में बच्चों, किशोरियों और हर उम्र की महिलाओं को शामिल करती है। इस योजना की मंशा तस्करी के पीड़ितों और स्वैच्छिक यौन-कर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास सुनिश्चित करते हुए इन व्यक्तियों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक कार्य योजना बनाना है।

कार्य योजना: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के सभी कानूनों, नीतियों और योजनाओं के लाभ शोषित व्यक्तियों तक पहुँचें और बुनियादी स्तर पर रोकथाम और पुनर्वास के प्रभावी उपाय किए जाएं, राज्य सरकार/गैर-सरकारी एजेंसियों और संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना। विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय समूहों को, अपने हकों की मांग करने और प्राप्त करने के मद्देनजर, उन्हें जागरूक बनाएंगे। प्राधिकरण सभी पणधारियों, जिनमें कानून लागू करने और उन्हें न्याय देने वाला तंत्र शामिल है, के क्षमता-निर्माण हेतु कार्य करेंगे ताकि तस्करी और यौन-शोषण की पीड़ित महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विधिक सेवाएं: भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (2007-08) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (2009-2010) के अनुसार, असंगठित क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक उत्पादन करता है और भारत के कार्यबल का लगभग 95% रोजगार प्रदान करता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पारित किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संशोधित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवा योजना, 2015 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुका विधिक सेवा समितियों को यह दायित्व सौंपती है कि वे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाएं और इस अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करें।

उद्देश्य और कार्य योजना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके लाभार्थ बनाए गए कानूनों और योजनाओं के अंतर्गत उनके हकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, इस योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अनिवार्य विधिक सेवाओं को एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करके संस्थागत बनाना है। यह विशेष प्रकोष्ठ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच मौजूदा कानूनों एवं योजनाओं के तहत उनकी पात्रताओं के बारे में जानकारी देगा, और कामगारों को कल्याण कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण करवाने तथा उनके लाभार्थ बनाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह योजना असंगठित क्षेत्र में नियोजित वंचित एवं असहाय कामगारों के लिए न्याय को सुलभ बनाएगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों के लिए बाल-सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना, 2015

बच्चों के लिए विधिक सेवाएं: भारत की जनसंख्या का लगभग 46 प्रतिशत बच्चे हैं। नाजुक उम्र और जीवन के फेरों से अनुभवहीन होने के कारण वे सर्वाधिक चपेट में आने वाले समूह हैं। इस कारण से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में बच्चों को नि:शुल्क विधिक सेवाओं के पात्र व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। बच्चों के साथ, यहां तक कि उनके मामले में कानून के साथ विवाद की स्थिति होने पर भी, अलग प्रकार का व्यवहार किया जाना होता है। बाल विवाह, बाल श्रम और उनके विरुद्ध अन्य अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयां अब भी मौजूद हैं। जब जक कि न्याय प्रदाताओं तक बच्चों की पहुँच नहीं हो जाती, बच्चों की न्याय संबंधी जरूरतें उपेक्षित और अधूरी रहेंगी।

उद्देश्य: बच्चों के लिए बाल-सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण योजना, 2015 के माध्यम से, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों की न्याय तक पहुँच में सुधार करने का लक्ष्य बनाया है। इस योजना का मुख्य प्रयोजन बच्चों के पक्ष में मौजूद कानूनों और नीतियों के उचित कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाना और कानूनों के साथ विवाद की स्थिति में आने वाले और देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को प्रभावी विधिक सहायता सुनिश्चित करना है।

कार्य योजना: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार बनाया गया है।

बाल सुलभ न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उनके संरक्षण हेतु अधिनियमित कानून के तहत बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को विधिक प्रशिक्षण और प्रबोधन प्रदान किया जाना है। सभी किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाने हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रतिबद्ध वकीलों का अलग से एक पैनल बनाना है। सभी स्कूलों में विधिक सेवा क्लब स्थापित किए जाने हैं। अंत में, इस योजना के तहत, बच्चों के अधिकारों के संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं नि:शक्त व्यक्ति) योजना, 2015

उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को कलंकित न समझा जाए और वे कानून द्वारा उनकी पात्रता और आश्वस्ति के सभी अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम हों। जहां तक मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी एक्ट) की धारा 2 के तहत नि:शक्तजन के रूप में माना जाएगा। इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति भी इस अधिनियम के तहत लाभों को प्राप्त करें और ऐसा करने के लिए यथाअपेक्षित उपचारी कार्रवाई की जाए।

विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका: इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरणों को मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा पूर्ण और समान मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का संवर्धन, संरक्षण और सुनिश्चय करना होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के अंतर्निहित प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता सहित व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को सुविधा-केंद्र के भीतर ही उनके अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को मानसिक स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों और मनश्चिकित्सा गृहों में विधिक सेवा क्लिनिक खोलने की जरूरत है। विधिक सेवा क्लिनिकों को भर्ती होकर उपचार करा रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों के साथ बात करनी होगी ताकि वे यह समझ सकें कि कोई संपत्ति और भरण-पोषण संबंधी मुद्दे तो नहीं हैं और उचित राहत के लिए कोर्ट में जा सकें। विधिक सेवा प्राधिकरणों से यह भी अपेक्षा की जाती हैं कि वे यह सुनिश्चित करने के राज्य अथवा जिले में मानसिक स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों का निरीक्षण करें कि भर्ती लोगों के लिए रहने की दशाएं सुरक्षित और रहने योग्य हों और कोई भी इलाज करा चुका मरीज सुविधा-केंद्र में रहे।

कार्य योजना: इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। वे चिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके संवेदीकरण कार्यक्रम तैयार करें। रोगियों और चिकित्सकों के साथ सतत रूप से बात करते रहने के लिए सभी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे ताकि रोगी सम्मान के साथ ठहर सकें और उपचार करा सकें तथा आवश्यकता होने पर वे कोर्ट में उपिस्थित हो सकें।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की योजनाएं) योजना, 2015

पृष्ठभूमि: गरीबी एक बहु-आयामी अनुभव है जिसमें स्वास्थ्य, आवास, पोषण, रोजगार, मातृत्व देखभाल, बाल मृत्यु, जल, शिक्षा, सफाई और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच शामिल हैं। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के मुद्दे भी हैं। धन के मामले में आय इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं है। विभिन्न असहाय और वंचित वर्ग असंख्य और निराले तरीकों के गरीबी के अनुभवों से गुजरते हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के आशयित लाभार्थी शिक्षा के अभाव, सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक वंचन, शोषण, सांस्कृतिक मानदंडों एवं विभेदों आदि के कारण उनके लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।

योजना के उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सभी स्तरों पर विधिक सहायता एवं समर्थन को सुदृढ़ कर सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत बुनियादी अधिकारों एवं लाभों तक पहुँच को सुनिश्चित करना है।

कार्य योजना: इस योजना में गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान करने तथा विधिक सेवा क्लिनिकों, जागरूकता कार्यक्रमों, पैनल वकीलों, पैरा लीगल वॉलंटियरों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार के जरिये उन तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कार्यतंत्र निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन) योजना, 2015

जनजातियों के लिए विधिक सेवाएं: 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियां भारत की जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या अपने परंपरागत रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार चलती हैं। वे अत्यधिक असहाय हैं क्योंकि वे अभी तक मुख्यधारा की संस्कृति में शामिल नहीं हुए हैं जबकि विकास की जरूरत और दबाव में उनकी बस्तियां लुप्त हो गई हैं और उनके अधिकारों का हनन हो गया है। हर बार जब किसी वन क्षेत्र को किसी विकास कार्यकलाप के लिए खाली किया गया, उन्हें वहां से हटाया गया, परंतु किसी अन्य सांस्कृतिक माहौल में उनके लिए समायोजित हो पाना अत्यधिक कठिन होता है। जनजातियों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं, जो उन तक नहीं पहुँच रही हैं, और उनके बीच भी सदैव एक गहरी खाई होती है। कई बार, जनजातियों का कानून के साथ विवाद होता है और वे बुरी तरह प्रभावित होते हैं क्योंकि न तो औपचारित न्याय व्यवस्था उन्हें समझती है और न ही वे न्याय व्यवस्था को समझते हैं।

उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य भारत में जनजातीय लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना है जिसमें अधिकारों, लाभों, कानूनी सहायता और अन्य विधिक सेवाएं शामिल हैं, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय के संवैधानिक आश्वासन का सार्थक रूप से अनुभव कर सकें।

विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका और कार्य योजना: अनुसूचित जनजातियों का सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत विधिक सहायता के हकदार हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों को जनजातियों तक पहुँचने की आवश्यकता है ताकि वे न्याय के समान अवसर प्राप्त कर सकें। इस योजना में उन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है जिनमें विधिक सेवा प्राधिकरण जनजातियों के लिए मददगार हो सकते हैं जैसे, उनके लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। विधिक सेवा प्राधिकरणों को पैरा-लीगल वॉलंटियरों के माध्यम से उनकी भाषा बोलते हुए सक्रिय रूप से जनजातियों तक पहुँचना होगा। इससे जनजातियों को परेशान करने वाले मुद्दों और विधिक सेवाओं द्वारा अनिवार्यत: प्रदान किए जाने वाले उपचारों के स्वरूप को समझने में बेहतर मदद मिलेगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधिक सेवा प्राधिकरणों को जनजातियों के बीच उन्हें संविधान द्वारा आश्वस्त विभिन्न अधिकारों, विभिन्न कानूनों के तहत उनके लिए उपलब्ध अधिकारों, उनके अधिकारों के हनन के मामले में उनके लिए उपलब्ध राहतों, जब कभी ऐसे हनन हों तब विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सहायता और अंत में उनके लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं एवं उन्हें प्राप्त करने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलानी होगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशे के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एवं नशे के कलंक का निवारण) योजना, 2015

पृष्ठभूमि: नशीले पदार्थों की तस्करी आज दुनिया में सर्वाधिक भयंकर संगठित अपराधों में से एक है। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच अपनी अवस्थिति के कारण भारत नशीले पदार्थों की तस्करी की चपेट में आने की उच्च संभावना वाला देश है। इसके प्रभाव कष्टकारक हैं। कहा जाता है कि लगभग 7 करोड़ लोग नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं। उनमें से 17% इसके आदी हैं। नशीले पदार्थों का पहली बार सेवन करने की आयु 9 साल तक आ गई है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं मनोविज्ञान, समाज की मजबूती और देश की अर्थव्यवस्था पर भयानक प्रभाव पड़ते हैं।

उद्देश्य: इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों और पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों, सरकारी योजनाओं, नीतियों आदि के संबंध में सभी पणधारियों के बीच जागरूकता फैलाना, सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर तस्करी को रोकने और प्रभावी नशा-मुक्ति एवं पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना।

कार्य योजना: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने प्रत्येक जिले में विशेष इकाइयां स्थापित की हैं जिनमें जिला सचिव नोडल अधिकारी हैं और जो पीड़ितों के नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और पुनर्वास के लिए सभी मौजूदा नीतियों, योजनाओं आदि का एक डाटाबेस बनाएंगे और उसे स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थाओं, बेघर बच्चों, जेलों, यौन कर्मियों, कैमिस्टों, खेती करने वालों, नशे के पीड़ितों और उनके परिवारों आदि जैसे सभी पणधारियों को उपलब्ध कराएंगे। वे यह सुनिश्चित करने के लिए नशा-मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे कि नशे के पीड़ितों के साथ उचित और सम्मानजनक बर्ताव किया जाए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नशे के सेवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता और विशेष रूप से छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं: राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति, 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या के लगभग 8 प्रतिशत लोग, जो संख्या में लगभग 104 मिलियन हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यह विश्व के वरिष्ठ नागरिकों की कुल जनसंख्या का 1/8वां हिस्सा है। वे असंख्य सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के कारण यह समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। समाज के कमाने वाले सदस्यों के प्रवास कर जाने के साथ ही बुजुर्ग लोग अपने खुद के भरोसे रहे जाते हैं। बुजुर्गों के सतत उत्पीड़न, अर्थात् परिवार के सदस्यों और समाज के सदस्यों द्वारा शारीरिक, भावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने, का भी प्रमाण मौजूद है।

योजना के उद्देश्य: मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सहायता, सलाह, परामर्श को सुदृढ़ करना, उन्हें विभिन्न विधिक प्रावधानों के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना, उनके लिए सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित करना और पुलिस, स्वास्थ्य देखभाल प्राधिकरणों एवं जिला प्रशासन आदि के साथ सहयोग करके तुरंत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं एवं शारीरिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए तरीके खोजना हैं।

कार्य योजना: इस योजना में विधिक सेवा क्लिनिकों और पैरा लीगल वॉलंटियरों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों तक पहुँच बनाने की परिकल्पना की गई है जो समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों एवं पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य देखभाल कार्मिक एवं अन्य प्राधिकरणों के साथ-साथ विधिक सेवा संस्थाओं के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेंगे। विधिक सेवा संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों की सभी मौजूदा योजनाओं, नीतियों आदि का एक डाटाबेस बनाएंगी और उस जानकारी का बुकलेटों, पैम्फलेटों, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये प्रसार करेंगे। वे वृद्धाश्रमों का भी दौरा करेंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। वे वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों की स्थापना को बढ़ावा देंगे और सुसाध्य बनाएंगे ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सामुदायिक समर्थन मिल सके और उनकी दूसरों पर निर्भरता कम हो सके।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं: एसिड हमले हिंसा का सर्वाधिक घातक स्वरूप है और ये अधिकांशत: महिलाओं के ऊपर होते हैं। ये हमले प्राय: विवाह के प्रस्ताव अथवा यौन प्रस्तावों से इनकार करने के परिणामस्वरूप होते हैं। दहेज, सम्पत्ति, जमीन और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों के परिणामस्वरूप भी एसिड हमले किए जा सकते हैं। समस्या के स्वरूप और इसकी बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, हाल ही में विभिन्न कानूनी एवं न्यायिक पहलें की गई हैं। इनमें कठोर दंड, एसिड की बिक्री पर कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध और ऐसे हमलों के पीड़ितों को राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने हेतु प्रावधान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 326ए और 326बी जोड़ा जाना शामिल है।

योजना के उद्देश्य: इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं एसिड हमले के पीड़ितों की पात्रताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रसार करना तथा विभिन्न विधिक प्रावधानों एवं सरकारी योजनाओं के तहत चिकित्सा सुविधाओं, पुनर्वास सेवाओं, पर्याप्त क्षतिपूर्ति एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान करना।

कार्य योजना: जले हुए के उपचार की सुविधा वाले अस्पतालों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये क्लिनिक पीड़ितों और उनके संबंधियों के साथ उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सर्वसंभव मदद सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से संपर्क करते रहेंगे। पीड़ितों एवं उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श, पुनर्वास सेवाएं और सक्रिय समर्थन एवं सहायता की व्यवस्था पैरा लीगल वॉलंटियर करेंगे। विधिक सेवा संस्थाएं पीड़ितों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रदान की जाने वाली तत्काल एवं पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करेंगी। पीड़ितों को उनके आपराधिक मामलों पर कार्रवाई के लिए नि:शुल्क विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रायल के दौरान उनके साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए।

आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
न्याय सेवा सदन, पुरानी हवेली,
हैदराबाद-500 002
कार्यालय: 040-23447602,
टेलीफैक्स: 23446700 और 23446701

अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सत्र न्यायालय भवन,
यूपिया, अरुणाचल प्रदेश-791110
कार्यालय: 0360-2284913,फैक्स: 2284935

असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
पहली मंजिल, डिस्ट्रिक्ट जजेस न्यू कोर्ट बिल्डिंग,
गौहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी-781 001
कार्यालय: 0361-2601843, टेलीफैक्स: 2601843

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001
कार्यालय: 0612-2230943, फैक्स:2201390

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
वेयरहाउस "विधिक सेवा मार्ग"
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495 001
कार्यालय: 07752-410-210, 417-625
फैक्स: 410530

गोवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नया उच्च न्यायालय भवन,
लाइसियम कॉम्प्लेक्स, एल्टिन्हो, पणजी
गोवा-403 001
कार्यालय: 0832-2421169, 2431910, 2224126
फेलीफैक्स:2224126, फैक्स: 2420531

गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रशासनिक भवन, तृतीय तल,
शॉर्ट विंग, उच्च न्यायालय परिसर, सोला,
अहमदाबाद-380060
कार्यालय: 079-27665296
टेलीफैक्स:27664963, फैक्स: 27664964

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
इंस्टीट्यूशनल प्लॉट नं. 9, सैक्टर-14
पंचकुला (हरियाणा)- 134109
कार्यालय: टेलीफैक्स 0172-2583309

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
ब्लॉक सं.22, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कुसुम्प्टी,
शिमला-171 009
कार्यालय: 0177-2623862, निवास: 2628862
टेलीफैक्स: 2626962

जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
1. शीतकालीन पता: (नवंबर से मार्च)
जेडीए कॉम्प्लेक्स, जानीपुरा, जम्मू-180007
2. ग्रीष्मकालीन पता: (अप्रैल से अक्टूबर)
पुराना सचिवालय, श्रीनगर
0191-2546753, 0191-2564764-फैक्स
0191-2539962, 0194-2452267-फैक्स
0194-2450644 (कार्यालय श्रीनगर)
0194-2480408-फैक्स

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
'न्याय सदन' एजी ऑफिस के पास,
दोरांदा, रांची-834002
(कार्यालय) 0651-2481-520, 2482-392
(टेलीफैक्स) 2482-397

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
न्याय देगुला, प्रथम तल, एच. सिद्धैया रोड,
बंगलौर-560027,
कार्यालय: 080-22111875, 22111714,
फैक्स: 080-22112935

केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
नियम सहाय भवन, उच्च न्यायालय परिसर,
एरणाकुलम, कोच्चि-682 031
कार्यालय: 0484-2396717, व्यक्तिगत: 2395717

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी-2, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेड़ी,
जबलपुर 482001
कार्यालय:0761-2678352-52, 2624131, (फैक्स) 2678537

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
105, उच्च न्यायालय, पीडब्ल्यूडी भवन,
फोर्ट, मुम्बई-400 032
कार्यालय: 022-22691395, 22691358/22665866
(फैक्स) 22674295

मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
मणिपुर उच्च न्यायालय परिसर,
मंत्रिपुखरी-795002
कार्यालय: 0385-2410786, (टेलीफैक्स) 2413552
(फैक्स) 2411461, 23926742

मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
कमरा नं.120, एमएटीआई भवन, अतिरिक्त सचिवालय, शिलांग-793001
कार्यालय:0364-2501051
(फैक्स) 2336618, 2500064

मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जूनियर जजेज क्वार्टर्स बिल्डिंग, न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, खटला, आइजोल, मिजोरम
कार्यालय: 0389-2336621, (फैक्स) 2336619

नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
पुराना सचिवालय परिसर,
कोहिमा-797001
कार्यालय: (टेली/फैक्स) 0370-2290153

उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एस.ओ. क्वार्टर नं.20, छावनी रोड, कटक-753 001
कार्यालय: 0671-2307687, 2304389, 2307071
(फैक्स) 2305702

पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
दूसरी मंजिल, पुराना जिला न्यायालय परिसर का नया ब्लॉक, सैक्टर-17, चंडीगढ़-160017
(कार्यालय): 0172-27155800 टेलीफैक्स-4652568

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,
जयपुर-302 005
कार्यालय:0141-2227481, (फैक्स) 2227602

सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
डवलपमैंट एरिया,
गंगटोक, पूर्वी सिक्किम-737101
कार्यालय: 03592 (फेलीफैक्स) 03592-207753
(मोबाइल) 09832660883

तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
दूसरी मंजिल, न्याय सेवा सदन, सिटी सिविल कोर्ट कम्पाउंड, पुरानी हवेली,
हैदराबाद-500 002
कार्यालय 040-23446702, टेलीफैक्स: 23446700 और 23446701

तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
नॉर्थ फोर्ट रोड, हाई कोर्ट कैम्पस,
चेन्नई-600 104
कार्यालय: 044-25342834, 25235767
(फैक्स) 25342268

त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
मलारमठ डिगी का पूर्वी किनारा,
अगरतला-799001
कार्यालय-0381-232-2481, (फैक्स) 231-0444

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तीसरी मंजिल, जवाहर भवन एनेक्सी,
लखनऊ-226 001
कार्यालय: 532-2286395, 2286265, 2286260
(फैक्स) 2286260, 2287972

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल उत्तराखंड-263001
कार्यालय: 05942-236762, (फैक्स) 236552

पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सिटी सिविल एवं सेसन कोर्ट बिल्डिंग, प्रथम तल, 2 एवं 3, किरन शंकर रॉय रोड, कोलकाता-700 001
कार्यालय: 03192- (टेलीफैक्स) 236616

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
सचिवालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर-744 101
कार्यालय: 03192 (टेलीफैक्स) 236616

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, एडीशनल डीलक्स बिल्डिंग, भूतल, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009
कार्यालय-0172-2742999, (फैक्स) 2742888

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली,
सिलवासा-396230
कार्यालय: 0260-2644452, (फैक्स): 2641334

दमन और दीव विधिक सेवा प्राधिकरण,
मोती दमन 396220
(कार्यालय) 0260-2230887, 2230221

दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण
प्री-फैब बिल्डिंग, पटियाला हाउस कोर्ट,
नई दिल्ली-110 001
(कार्यालय) 011-23384781
(कार्यालय) 23383014 (पीएचसी)
(फैक्स) 23387267 (पीएचसी)

लक्षद्वीप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लक्षद्वीप, कवरती आइलैंड्स- 682 555
(कार्यालय) 04896-262323
(कार्यालय)263138, (फैक्स) 262184, 262307

पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरण,
सं.3, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुदुचेरी-605 001
0413-(कार्यालय) 2224658 (कार्यालय) 2338831
(फैक्स) 2224658

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति
109, लॉयर्स चैम्बर्स, पोस्ट ऑफिस विंग,
उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली
011-23388313